

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड-तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड के (औद्योगिक ग्रेड समेत)" [एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है], जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2809 20 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1010/2012-डीजीएडी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013, जिसे दिनांक 08 नवम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर संशोधित दर से लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, जिसे सा.का.नि. 811 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाई थी ।

और जहां कि मैसर्स ग्वांगझी क्वींझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. (उत्पादक या निर्यातक) ने अपने द्वारा निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अनुसार समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नए शीपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 15/5/2016-डीजीएडी, दिनांक 09 फरवरी, 2017, जिसे 09 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है । उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2017 जिसे सा.का.नि. 249 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह अधिसूचित किया है कि मैसर्स ग्वांगझी क्वींझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. (उत्पादक या निर्यातक) के द्वारा किए गए विषयगत माल के सभी निर्यातों का तब तक अनंतिम आंकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

और जहां कि मैसर्स ग्वांगझी क्वींझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के पत्र (जो कि उनके विधिक प्रतिनिधि मैसर्स एपीजे-एस.एल.जी. लॉ ऑफिसेस् के द्वारा दायर) के तहत नए शीपर रिव्यू के आवेदन को वापस ले लिया है और इस दृष्टि से निर्दिष्ट प्राधिकारी

ने उक्त नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत किसी एकल निर्धारण को न करने का निर्णय लिया है और अधिसूचना संख्या 15/5/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के तहत नए शीपर रिव्यू को समाप्त कर दिया है। अतः अधिसूचना संख्या 33/2013-सीमा शुल्क-(एडीडी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 बिना किसी परिवर्तन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू होगी।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2017 जिसे सा.का.नि. 249 (अ) दिनांक 15 मार्च, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फाइल संख्या 354/70/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार